न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/56/2019 प्रार्थना पत्र   दायर दिनांक 07.06.2019

उनवान

1. बद्रीलाल पिता रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीराम कॉलोनी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपल पिता भोजराज जाति बारेगामा निवासी बुद्वाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. प्रमोद पिता ओम जाति बारेगामा निवासी बुद्वाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. विनोद पिता ओम जाति बारेगामा निवासी बुद्वाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. जमनादेवी पत्नी जयदीप जाति ब्राहम्ण निवासी सरोया मोहल्ला कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. चन्द्रप्रकाश पिता नानुराम जाति बारेगामा निवासी बुद्वाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. केदार पिता उंकार जाति बारेगामा निवासी बुद्वाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 18.06.2019

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पतथरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा बुद्वाखेडा पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन की खाता संख्या 47 में स्थित आराजी संख्या 250, 251, 252, 290, 292 कुल किता 5 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय—दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा कें पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैर—बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरूद्व एक—तरफा कार्यवाही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस एक तरफा सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन को संबंधित प्रकरण में 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा बुद्धाखेडा पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन की खाता संख्या 47 में स्थित आराजी संख्या 250, 251, 252, 290, 292 कुल किता 5 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner